भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 179
11 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

मेगा खाद्य पार्क

179. श्री धर्मबीर सिंह:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने मेगा खाद्य पार्क स्वीकृत किए गए हैं, प्रचालनरत हैं और पूरी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन मेगा खाद्य पार्कों में अब तक कुल कितना निवेश किया गया है;

(ग) प्रचालनरत पार्कों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितनी नौकरियां सृजित हुई हैं;

(घ) अनेक स्वीकृत पार्कों को पूर्ण रूप से प्रचालनशील करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) इन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार भविष्य में भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मेगा खाद्य पार्क स्थापित करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

मेगा फ़ूड पार्क के बारे में दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तर हेतु लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 179 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): मंत्रालय ने मेगा फ़ूड पार्क योजना के अंतर्गत , पूरे देश में 41 मेगा फ़ूड पार्क (एमएफपी) को मंज़ूरी दी है। इनमें से, 25 मेगा फ़ूड पार्क योजना के दिशानिर्देश के अनुसार देश में प्रचालनरत हैं और कार्य कर रही हैं।
(ख): इन 41 एमएफपी में सरकार ने अनुदान सहायता के रूप में कुल 1515.58 करोड़ रुपये का निवेश किया है ।
(ग): प्रचालनरत एमएफपी के द्वारा 71**,**384 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित हुए हैं।

(घ): मंज़ूर पार्कों को प्रचालनरत करने में देरी के मुख्य कारण ये हैं:

(i) योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित संख्या में प्रसंस्करण इकाइयों को औद्योगिक भूखंड पट्टे पर देने तथा इनका परिचालन सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) /कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के सामने आने वाली चुनौतियां।
(ii) राज्य सरकारों से कानूनी मंज़ूरी मिलने में देरी।
(iii) अंतिम अनुमोदन मिलने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआरे) और परियोजना घटकों में संशोधन।
(iv) शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव, सावधि ऋण मंज़ूरी और संवितरण में देरी।
(v) परियोजना प्रमोटर्स के सामने आने वाली वित्तीय अड़चनें, आदि।

(ङ): मेगा फ़ूड पार्क (एमएफपी) के निष्पादन**,** स्वामित्व और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी एसपीवी **/**आईए की होती है। परंतु**,** मंत्रालय ने उनके त्वरित परिचालन/पूरा होने में तेज़ी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं**,** जो इस तरह हैं:

i. मंत्रालय नियमित तौर पर एसपीवी /आईए से संबंधित पार्कों की प्रगति के बारे में मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) मँगवाता है ।
ii. मंत्रालय कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के माध्यम से भी परियोजना की प्रगति पर नज़र रखता है। पीएमए नियमित तौर पर पर एसपीवी /आईए के साथ बातचीत करते हैं, साइट विज़िट भी करते हैं और एसपीवी /आईए को कार्यान्वयन में आने वाली मामलों के बारे में सलाह देते हैं।
iii. मंत्रालय परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए माननीय मंत्री, एफपीआई, सचिव एफपीआई और संयुक्त सचिव के स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें भी कर रहा है।
iv. मंत्रालय परियोजनाओं को हर संभव सहायता दे रहा है, जिसमें राज्य सरकारों के विभिन्न संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ सभी स्तरों पर बातचीत करना शामिल है और समन्वय करके समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा है।
v. योजना शुरू होने के बाद, योजना के दिशानिर्देश को आसान बनाने और कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए दिशानिर्देश में कई बदलाव किए गए।
vi. मंज़ूर एमएफपी में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए, मंत्रालय की खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना (सीईएफपीपीसी) के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने हेतु विशेष अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओयू) आमंत्रित की गई हैं और बाद में, मेगा फ़ूड पार्क (एमएफपी) और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निधियों के कतिपय प्रतिशत भी विशेष तौर पर तय किए गए हैं।
vii. मेगा फ़ूड पार्क और पार्क में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सस्ता ऋण देने के लिए, नाबार्ड के साथ 2000 करोड़ रुपये की विशेष निधि का भी निर्माण किया गया है।

(च): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि एमएफपी योजना को केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के प्रावधान के साथ 01.04.2021 से बंद कर दिया गया है ।

*****